बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

सं0सं0–9/आ0–01–59/2024(स्वा0) .... /पटना, दिनांकः–..

डा0 बालमुकुन्द सिंह, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चेनारी, रोहतास के विरूद्ध दिनाक–25.10.2017 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में विभागीय संकल्प सं0–705(9) दिनांक–30.06.2023 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

2. संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जॉच–प्रतिवेदन (अधिगम) में आरोप को प्रमाणित होने का मंतव्य दिया गया। विभागीय पत्रांक–1034(9) दिनांक–18.10.2024 द्वारा डॉ0 सिंह से लिखित अभ्यावेदन (द्वितीय कारण–पृच्छा) की मॉग की गयी।

3. डा0 सिंह द्वारा प्रत्युत्तर समर्पित किया गया है कि सिविल सर्जन, रोहतास के पत्रांक–2309 दिनांक–03.10.2017 को उन्हें प्रा0स्वा0केन्द्र, चेनारी, रोहतास से प्रा0स्वा0केन्द्र, शिवसागर, रोहतास में प्रतिनियुक्ति किया गया। इसी क्रम में मधुमेह स्तर ज्यादा होने के कारण वे दिनांक–25.10.2017 से 30.10.2017 तक आकस्मिक अवकाश में चले गए। सिविल सर्जन, रोहतास द्वारा उनके अवकाश अभिवृद्धि आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया। डा0 सिंह द्वारा स्थानांतरण आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना में समादेश याचिका सं0–3312/2018 दायर किया गया, जिसमें दिनांक–21.08.2018 को स्थानान्तरण आदेश को खारिज कर दिया गया। विभागीय पत्रांक–1436(2) दिनांक–18 12.2018 द्वारा प्रा0स्वा0केन्द्र, शिवसागर, रोहतास में योगदान करने का आदेश दिया, फलतः उनके द्वारा दिनांक–05.10.2019 को सिविल सर्जन, रोहतास के समक्ष योगदान समर्पित किया गया। सिविल सर्जन, रोहतास के पत्रांक–3344 दिनांक–06.11 2019 द्वारा डॉ0 सिंह का योगदान स्वीकार करने पर मार्गदर्शन की मॉग की गयी। विभागीय पत्राक–885(2) दिनांक–26.07.2021 द्वारा सिविल सर्जन, रोहतास को डॉ0 सिंह का योगदान स्वीकार करने का आदेश दिया गया। तदालोक में सिविल सर्जन, रोहतास के पत्रांक–1711 दिनांक–13.08.2021 के आलोक में डॉ0 सिंह द्वारा दिनांक–14.08.2021 को प्रा0स्वा0केन्द्र, चेनारी, रोहतास में योगदान समर्पित किया गया। वे दिनांक–31.01 2025 को वार्धक्य सेवानिवृत्त हो गये।

4. अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा डा0 सिंह के विरूद्ध गठित आरोप–पत्र, संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच–प्रतिवेदन एवं लिखित अभ्यावेदन की सम्यक समीक्षा की गयी। सम्यक समीक्षोपरांत पाया गया कि सिविल सर्जन, रोहतास द्वारा डा0 सिंह को प्रा0स्वा0केन्द्र, शिवसागर में प्रतिनियुक्ति होने के कारण वे अपनी बीमारी एवं संबंधित वाद माननीय न्यायालय में लंबित होने का उल्लेख करते हुए दिनांक–25 10.2017 से 04.11.2019 तक कर्त्तव्य पर अनुपस्थित रहें है। विभाग द्वारा सिविल सर्जन, रोहतास को विलंब से योगदान स्वीकार करने का निदेश प्राप्त होने के कारण डॉ0 सिंह दिनांक–06.10.2019 से 13.08.2021 तक कर्त्तव्य पर उपस्थित नहीं हो सके।

5. फलतः डा0 सिंह के विरूद्ध दिनांक–25.10.2017 से 04.11.2019 तक अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के प्रमाणित आरोप मे बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम–43(ख) के अधीन 06% (छः प्रतिशत) पेंशन की राशि स्थायी रूप से अधिसूचना निर्गत की तिथि से कटौती करने एवं दिनांक–06.11.2019 से 13.08.2021 तक के अनुपस्थित अवधि को कार्य नहीं वेतन नहीं के रूप में विनियमित करने का विनिश्चय किया गया है।

6. विभागीय पत्रांक–661(9) दिनांक–16.06.2025 द्वारा विभागीय दण्ड प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से परामर्श की मॉग की गयी। बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक–4575 दिनांक–13.02.2026 द्वारा विभागीय दण्ड प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त किया गया है।

09/03/2026

(15)

7. अतएव डा0 बालमुकुन्द सिंह, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रोहतास सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध दिनाक–25.10.2017 से 04.11.2019 तक अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम–43(ख) के अधीन 06% (छः प्रतिशत) पेंशन की राशि स्थायी रूप से अधिसूचना निर्गत की तिथि से कटौती करने शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित की जाती है साथ ही दिनांक–06.11.2019 से 13.08.2021 तक के अनुपस्थित अवधि को कार्य नहीं वेतन नहीं के रूप में विनियमित करने का निर्णय संसूचित किया जाता है।

8. उपर्युक्त प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/–
(उपेन्द्र राम)
सरकार के अवर सचिव।

Email

ज्ञापांकः–9/आ०–01–59/2024(स्वा0) 285(9) / **पटना, दिनांकः–** 10.03.26

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, (ले० एवं ह०) बिहार पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0 दा0 नि0 को0) विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, रोहतास/ संबंधित कोषागार पदाधिकारी, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–क्षेत्रीय अपर–निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, पटना प्रमंडल, पटना/सिविल सर्जन, रोहतास को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–माननीय स्वास्थ्य मंत्री के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/अपर सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाऐं, बिहार, पटना के निजी सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–डा0 बालमुकुन्द सिंह, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रोहतास सम्प्रति सेवानिवृत्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–प्रशाखा पदाधिकारी 2(ए), 2(बी) 3, 7, 8, 10, 17 एवं 18A को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–आई0टी0 मैनेजर, स्वा0 विभाग को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

09/03/2026
सरकार के अवर सचिव।